भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2841
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यात्रा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं

2841. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार हवाई यात्रा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ किस प्रकार समन्वय करती है; और

(ख) क्या सरकार ने राज्य की उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां या कार्यक्रम तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) का उद्देश्य देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। 'उड़ान' एक माँग आधारित योजना है। विशेष मार्गों पर माँग के अपने आंकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें 'उड़ान' के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। ऐसा हवाईअड्डा जो 'उड़ान' के लिए अवॉर्ड किए गए मार्गों में शामिल है और जिसे 'उड़ान' परिचालन शुरू करने के लिए उन्नयन/विकास की आवश्यकता है, को 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत विकसित किया जाता है।

तमिलनाडु राज्य में योजना के तहत 05 हवाईअड्डों नामतः सेलम, वेल्लोर, नेवेली, तंजौर और रामनाद की विकास के लिए पहचान की गई है, जिनमें से सेलम में परिचालन शुरू हो चुका है। इसके अलावा, अरकोनम, चेट्टीनाड, चोलावरम, सुलूर और उलुंदुरपेट में असेवित हवाईपट्टियाँ बोली प्रक्रिया हेतु 'उड़ान' योजना दस्तावेज़ में उपलब्ध हैं।

*****